ऑन लाईन नं. RCMS 2024/153

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती रीना, आर0ए0एस0

ई0सी0एक्ट प्रकरण सं0 07/2024

राज्य सरकार जरिये श्री कविता, जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर

प्रार्थी

बनाम

1. श्री चन्द्रमोहन पुत्र श्री सुभाषचन्द्र, जाति मोची, निवासी सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर।

अप्रार्थी

प्रकरण आवश्यक वस्तु अधिनियम , 1955 की धारा 6 ए आवश्यक के तहत जब्तशुदा सामग्री 01 घरेलू एलपीजी गैस सिलैण्डर मय 13.0 किलोग्राम गैस को राजसात करने बाबत्।

उपस्थित : जिला रसद अधिकारी, विभागीय प्रतिनिधि
अप्रार्थी श्री चन्द्रमोहन उपस्थित।

निर्णय दिनांक: 22.11.2024

प्रस्तुत प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि पंजाबी ढाबा, सुादलशहर बस स्टेण्ड पर घरेलु गैस सिलण्डरों का दूरूपयोग किए जाने की शिकायत प्राप्त होने पर जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर मय प्रवर्तन स्टॉफ दिनांक 25.09.2024 को उक्त दुकान पर पहुंचे। वक्त जांच मौक पर चन्द्रमोहन पुत्र श्री सुभाषचन्द्र उम्र 32 साल जाति मोची निवासी सादुलशहर उपस्थित मिला, जिन्होने स्वयं को दुकान का मालिक होना बताया। श्री चन्द्रमोहन की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया गया। दुकान की जांच में पाया गया कि दुकान में घरेलु गैस सिलण्डरों का उपयोग भोजन आदि बनाने में किया जाता है। मौके पर उक्त दुकान में 1 घरेलू गैस सिलेण्डर पाया गया। मौके पर पाए गए 1 घरेलु सिलेण्डर इंडेन गैस कंपनी का है। मौके पर पाया गया 01 घरेलू गैस सिलेण्डर वजह सबूत जब्त किया गया। मौके पर उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर के भण्डारण/उपयोग संबंधी कोई भी वैद्य दस्तावेज श्री चन्द्रमोहन द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। श्री चन्द्रमोहन पुत्र श्री सुभाषचन्द्र की दुकान पर पाया गया 01 घरेलू गैस सिलेण्डर को जरिए फर्द जब्ती जब्त किया गया एवं श्री पुलकित गोयल पुत्र श्री विजय गोयल उम्र 30 साल जाति अग्रवाल निवासी भगतसिंह कालोनी, सादुलशहर, सादुलशहर गैस सर्विस, सादुलशहर को सुपुर्द किया। उक्त जांच में यह स्पष्ट है कि श्री चन्द्रमोहन पुत्र श्री सुभाषचन्द्र द्वारा अवैध तरीके से घरेलू गैस सिलण्डरों का उपयोग किया जा रहा था। श्री चन्द्रमोहन पुत्र श्री सुभाषचन्द्र ने घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर का दुरूपयोग कर LPG [Regulation of Supply and distribution]Order 2000 के क्लॉज 3(1)(ख)(ग), 4(1)(ग)(2) व 7(1)(ग) की स्पष्ट अवहेलना की है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 ए के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि मौके से 01 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर मय 13.0 किलोग्राम गैस को राजसात करने का आदेश फरमावें।

परिवाद प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0)
श्रीगंगानगर

अप्रार्थी स्वयं उपस्थित। अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा उक्त गैस सिलेण्ड का उपयोग व्यावसायिक कार्य हेतु नहीं किया जा रहा था। उक्त जब्तशुदा गैस सिलेण्ड का उपयोग स्वयं का खाना बनाने हेतु उपयोग किया जाता था। अतः जब्तशुदा 01 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर मय 13.0 किलोग्राम गैस को प्रार्थी को वापिस दिया जाकर उक्त प्रकरण दाखिल दफतर किया जावे।

राजकीय पैरोकार ने अपने बहस में व्यक्त किया है कि पंजाबी ढाबा, सादुलशहर बस स्टेण्ड पर घरेलु गैस सिलण्डरों का दूरूपयोग किए जाने की शिकायत प्राप्त होने पर जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर मय प्रवर्तन स्टॉफ दिनांक 25.09.2024 को उक्त दुकान पर पहुंचे। वक्त जांच मौक पर चन्द्रमोहन पुत्र श्री सुभाषचन्द्र उम्र 32 साल जाति मोची निवासी सादुलशहर उपस्थित मिला, जिन्होने स्वयं को दुकान का मालिक होना बताया। श्री चन्द्रमोहन की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया गया। दुकान की जांच में पाया गया कि दुकान में घरेलु गैस सिलण्डरों का उपयोग भोजन आदि बनाने में किया जाता है। मौके पर उक्त दुकान में 1 घरेलू गैस सिलेण्डर पाया गया। मौके पर पाए गए 1 घरेलु सिलेण्डर इंडेन गैस कंपनी का है। मौके पर पाया गया 01 घरेलू गैस सिलेण्डर वजह सबूत जब्त किया गया। मौके पर उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर के भण्डारण/उपयोग संबंधी कोई भी वैद्य दस्तावेज श्री चन्द्रमोहन द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। श्री चन्द्रमोहन पुत्र श्री सुभाषचन्द्र की दुकान पर पाया गया 01 घरेलू गैस सिलेण्डर को जरिए फर्द जब्ती जब्त किया गया एवं श्री पुलकित गोयल पुत्र श्री विजय गोयल उम्र 30 साल जाति अग्रवाल निवासी भगतसिंह कालोनी, सादुलशहर, सादुलशहर गैस सर्विस, सादुलशहर को सुपुर्द किया। उक्त जांच में यह स्पष्ट है कि श्री चन्द्रमोहन पुत्र श्री सुभाषचन्द्र द्वारा अवैध तरीके से घरेलू गैस सिलण्डरों का उपयोग किया जा रहा था। श्री चन्द्रमोहन पुत्र श्री सुभाषचन्द्र ने घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर का दुरूपयोग कर LPG [Regulation of Supply and distribution]Order 2000 के क्लॉज 3(1)(ख)(ग), 4(1)(ग)(2) व 7(1)(ग) की स्पष्ट अवहेलना की है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 ए के तहत मौके से 01 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर मय 13.0 किलोग्राम गैस को राजसात किया जाए।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि पंजाबी ढाबा, सादुलशहर बस स्टेण्ड पर घरेलु गैस सिलण्डरों का दूरूपयोग किए जाने की शिकायत प्राप्त होने पर जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर मय प्रवर्तन स्टॉफ दिनांक 25.09.2024 को उक्त दुकान पर पहुंचे। वक्त जांच मौक पर चन्द्रमोहन पुत्र श्री सुभाषचन्द्र उम्र 32 साल जाति मोची निवासी सादुलशहर उपस्थित मिला, जिन्होने स्वयं को दुकान का मालिक होना बताया। श्री चन्द्रमोहन की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया गया। दुकान की जांच में पाया गया कि दुकान में घरेलु गैस सिलण्डरों का उपयोग भोजन आदि बनाने में किया जाता है। मौके पर उक्त दुकान में 1 घरेलू गैस सिलेण्डर पाया गया। मौके पर पाए गए 1 घरेलु सिलेण्डर इंडेन गैस कंपनी का है। मौके पर पाया गया 01 घरेलू गैस सिलेण्डर वजह सबूत जब्त किया गया। मौके पर उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर के भण्डारण/उपयोग संबंधी कोई भी वैद्य दस्तावेज श्री चन्द्रमोहन द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। श्री चन्द्रमोहन पुत्र श्री सुभाषचन्द्र की दुकान पर पाया गया

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

01 घरेलू गैस सिलेण्डर को जरिए फर्द जब्ती जब्त किया गया। इससे यह स्पष्ट है कि श्री चन्द्रमोहन पुत्र श्री सुभाषचन्द्र द्वारा अवैध तरीके से घरेलू गैस सिलण्डरों का उपयोग किया जा रहा था।

श्री चन्द्रमोहन पुत्र श्री सुभाषचन्द्र ने घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर का दुरूपयोग कर LPG [Regulation of Supply and distribution]Order 2000 के क्लॉज 3(1)(ख)(ग), 4(1)(ग)(2) व 7(1)(ग) की स्पष्ट अवहेलना की है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए के तहत मौके से जब्त 01 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर मय 13.0 किलोग्राम गैस को राजसात किया जाता है। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 22.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया

(रीना)
अति0 जिला मजिस्ट्रेट
(प्रशासन), श्रीगंगानगर

अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा0)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)